

नैशनल फूड सिक्योरिटी एवं न्यूट्रीशनल मिशन- NFSNM –SEED Component
(पूर्व में सब मिशन ऑन सीड्स एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल) बीज ग्राम योजनान्तर्गत बीज वितरण
पर देय अनुदान का विवरण।

क्र०सं०	फसल प्रजाति का नाम	फसलवार अनुदान की सीमा/अधिकतम देय धनराशि जो भी कम हो
	धान्य फसल	बीज मूल्य का अधिकतम 50 % या अधिकतम देय धनराशि जो भी कम हो प्रति एक है०/कृषक
1.	धान	रु० 2000 प्रति कुं०
2.	गेहूँ	रु० 2000 प्रति कुं०
3.	जौ	रु० 3000 प्रति कुं०
3.	मक्का, ज्वार और बाजरा	रु० 3000 प्रति कुं०
4.	मंडुवा/सॉवा/रामदाना	रु० 3000 प्रति कुं०
	दलहन फसल	बीज मूल्य का अधिकतम 50 %या अधिकतम देय धनराशि जो भी कम हो प्रति एक है०/कृषक
1	अरहर, उर्द, मूंग, लोबिया, चना, मसूर, मटर, राजमा, गहत	रु० 5000 प्रति कुं०
1	तिलहन फसल	वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनान्तर्गत बीज वितरण पर अनुदान देय नहीं है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम— वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं है।

भण्डारण व्यवस्था (बुखारी)—वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनान्तर्गत बुखारी वितरण कार्यक्रम संचालित नहीं है।

एस.एम.ए.एम. योजना की अनुदान सूची 2025-26

क्र सं०	मद	अनुदान की अधिकतम सीमा प्रति मशीन/यंत्र
1	कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना	रु० 10.00 लाख तक की इकाई हेतु रु० 4.00 लाख अथवा मूल्य का 40% जो भी कम हो
2	कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना(40% छूट)	रु० 25.00 लाख तक की इकाई हेतु रु०10.00 लाख अथवा मूल्य का 40% जो भी कम हो
3	फार्म मशीनरी बैंक	रु० 5.00 लाख तक की इकाई हेतु रु० 4.00 लाख अथवा मूल्य का 80% जो भी कम हो
4	ट्रैक्टर (20 से 40 पी.टी.ओ. एच.पी.)	रु० 2.5 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
5	ट्रैक्टर (40 से 70 पी.टी.ओ. एच.पी.)	रु० 3.8 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
6	पावर टिलर(8 बी०एच०पी० से कम)	रु० 0.65 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
7	पावर टिलर(8 बी०एच०पी० ये अधिक)	रु० 0.85 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
8	पावर वीडर (इंजन चालित 2 बी०एच०पी० ये अधिक)	रु० 0.35 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
9	पावर वीडर (इंजन चालित 5 बी०एच०पी० ये अधिक)	रु० 0.50 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
10	रीपर कम बाइन्डर (सेल्फ प्रोपेल्ड) 4 वील	रु० 2.50 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
11	क्रॉप रीपर सेल्फ प्रोपेल्ड	रु० 0.75 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
12	स्त्रारीपर (35 एच०पी० से अधिक)	रु० 1.30 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
13	ब्रश कटर (3 एच.पी. इंजन से कम)	रु० 0.30 लाख अथवा मूल्य का 50 % जो भी कम हो
14	ब्रश कटर (3 से 5 एच.पी. इंजन)	रु० 0.40 लाख अथवा मूल्य का 50 % जो भी कम हो
15	कल्टीवेटर (ट्रैक्टर चालित 35 बी.एच.पी. से अधिक)	रु० 0.5 लाख अथवा मूल्य का 50 % जो भी कम हो
16	हैरा (ट्रैक्टर चालित 35 बी.एच.पी. से अधिक)	रु० 0.5 लाख अथवा मूल्य का 50 % जो भी कम हो
17	लेजर लैंड लेवलर (ट्रैक्टर चालित 35 बी.एच.पी. से अधिक)	रु० 2.00 लाख अथवा मूल्य का 50 % जो भी कम हो
18	रोटावेटर 6 फिट	रु० 0.468 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
19	रोटावेटर 7 फिट	रु० 0.493 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
20	रोटावेटर 8 फिट	रु० 0.525 लाख अथवा मूल्य का 50 % जो भी कम हो
21	मल्टीक्रोप थेसर (अप टू 4 टन)	रु० 1.0 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
22	थेसर (अप टू 4 टन)	रु० 1.0 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
23	मल्टीपरपज मिलेट थेसर	रु० 0.30 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
24	सुपर सीडर	रु० 0.050 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
25	बेलर राउंड (14 से 16 किलोग्राम प्रति बेलर)	रु० 2.000 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
26	चैफ कटर (power drawn) 3 एच.पी. से कम	रु० 0.2 लाख अथवा मूल्य का 50 % जो भी कम हो
27	चैफ कटर (power drawn) 3 एच.पी. से 5 एच.पी. से अधिक	रु० 0.28 लाख अथवा मूल्य का 50 % जो भी कम हो
28	पशुचालित यंत्र (पर्वतीय हल/हैरो/कल्टीवेटर/डिस्क हैरो/विनाईग फेन आदि)	रु० 0.28 लाख अथवा मूल्य का 50 % जो भी कम हो
29	गार्डन हैण्ड टूल	रु० 0.10 लाख अथवा मूल्य का 50 % जो भी कम हो
30	हार्टीकल्चर हैण्ड टूल	रु० 0.10 लाख अथवा मूल्य का 50 % जो भी कम हो
31	संचालित नैपसेक स्प्रेयर(क्षमता 12 से 16 लीटर)	रु० 0.038 लाख अथवा मूल्य का 50 % जो भी कम हो
32	संचालित नैपसेक स्प्रेयर(क्षमता 16 लीटर से अधिक)	रु० 0.10 लाख अथवा मूल्य का 50 % जो भी कम हो
33	न्यूमेटिक वेजिटेबल सीडर	रु० 2.25 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
34	पलब्राईजर	रु० 0.50 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
35	मिनी राईस मिल	रु० 0.4 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
36	देहुस्कर/सेलर/थेसर/पीलर/स्पलीटर	रु० 0.4 लाख अथवा मूल्य का 50% जो भी कम हो
37	छोटे कृषि यंत्र	रु० 0.001 लाख या मूल्य का 50% जो भी कम हो

पी०एम० – आर०के०वी०वाई० अन्तर्गत-

पर ड्रॉप मोर कॉप (PDMC) :-

योजना का उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं को विकसित करना, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना, जल स्रोतों का एकीकरण, वितरण एवं सही तकनीकी अपना कर जल का सदुपयोग करना, जल का अपव्यय रोक कर और जल की उपलब्धता बढ़ाकर प्रक्षेत्र पर ही जल की क्षमता में वृद्धि करना, जल की हर बूंद का सदुपयोग करना, जल स्रोतों के रिचार्ज को बढ़ाना एवं टिकाऊ जल संरक्षण (practices) की जानकारी कराना, भूमि जल संरक्षण तथा जन सहभागिता से सिंचाई सुविधाओं का बढ़ाना है।

पर ड्रॉप मोर कॉप के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम एवं अनुदान मानक

क्र.सं.	कार्यमद	योजना में अनुदान के मानक	व्यय के मानक
I	जल संग्रहण संरचनायें		
	1- जल संरक्षण संरचनायें (सामुदायिक)	PDMC	मूल्य का 100 % या अधिकतम रू० 2.50 लाख/संरचना 01 है० कमांड क्षेत्रफल
	2- चैक डेम (सामुदायिक)		मूल्य का 100 % या अधिकतम रू० 2.50 लाख/इकाई जो भी कम हो
II	जल संवहन यंत्र		
	1-एच०डी०पी०ई० पाइप	PDMC	मूल्य का 50 % या रू० 50/मी० या अधिकतम रू० 12000/है०
III	पूरक सिंचाई व्यवस्था		
	1- जल पम्प	PDMC	मूल्य का 50 % या अधिकतम रू० 15000/इकाई
	2- टयूब वेल		
	अ- गहरी एवं उथली टयूब वेल	PDMC	मूल्य का 50 % या अधिकतम रू० 25000/इकाई
	ब- गहरी टयूब वेल	PDMC	मूल्य का 50 % या अधिकतम रू० 100000/इकाई
IV	जल संरक्षण का पुर्नउद्धार एवं मरम्मत	PDMC	मूल्य का 50 % या अधिकतम रू० 15000/इकाई
V	सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली		
	1- मिनी स्पिंकलर सेट	PDMC	मूल्य का 55 % या अधिकतम रू० 64717/है०
	2- माइक्रो स्पिंकलर सेट		मूल्य का 55 % या अधिकतम रू० 44757/है०
	3- पोर्टेबल स्पिंकलर सेट		मूल्य का 45 % या अधिकतम रू० 26313/ 3 है०

पी0एम0 – आर0के0वी0वाई0 अन्तर्गत–

वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (RAD) :

योजना 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित है। प्रदेश में वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एकीकृत खेती प्रणाली, जल उपयोग दक्षता, उचित मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर केन्द्रित, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन प्रदेश में वर्ष 2014-15 से निरन्तर संचालित है। दिनांक 23 मार्च, 2023 को भारत सरकार द्वारा निर्गत “New Operational Guidelines” में दिशा निर्देश उपलब्ध कराया गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न समेकित फसल प्रणालियों के प्रदर्शन, मौन पालन, वर्मी कम्पोस्ट संरचनायें, साइलेज इकाइयों का निर्माण, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम संचालित है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम है—

क्र.स	मद	क्रियाकलाप	प्रस्तावित लागत मानदंड
1	एकीकृत कृषि प्रणाली	फसलें (मिलेट्स फसलें / तिलहन / दालें / सब्जियां / चारा) + पेड़ (बागवानी / कृषि वानिकी) + पशुधन (दुधारू गाय / भैंस / छोटे जुगाली करने वाले (10 जानवर (भेड़ या बकरी या सूअर) / 50 पक्षी (बतख / मुर्गी पालन))	क्रम संख्या 1 में दी गई एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए प्रत्येक कृषक परिवार को रु 30,000/- (तीस हजार) प्रदान किए जाएंगे और आवश्यकता के आधार पर क्रम संख्या 2 से 5 पर दी गई कम से कम दो गतिविधियों को शामिल किया जाएगा जो कि निर्भर करेगा फार्म हाउस होल्ड, उपलब्ध संसाधन और अभिसरण तंत्र पर। 30,000/- रुपये की सहायता सभी किसानों के लिए एक समान होगी, चाहे उनकी भूमि जोत का आकार कुछ भी हो।
2	मत्स्य पालन (फिंगरलिंग) इकाइयाँ	तालाबों या चावल के खेत में मछली पालन	
3	मधुमक्खी पालन (मधुमक्खी) रखते हुए)	वृक्षारोपण / मिलेट्स / फसलों के तहत प्रति खेत एक इकाई।	
4	साल भर हरे चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए साइलेज बनाना	चैफ कटर और वजन तराजू के प्रावधान के साथ जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर साइलो पिट का निर्माण	
5	वर्मीकम्पोस्ट इकाइयाँ/जैविक इनपुट	उत्पादन इकाई, हरी खाद वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों, जैविक इनपुट उत्पादन इकाइयों और हरी खाद का निर्माण।	
6	क्षमता निर्माण	एसआरएलएम के तहत सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी), स्वयं सहायता समूहों, एनएफ कार्यक्रम के तहत चैंपियन किसानों आदि के माध्यम से लाभार्थियों की निगरानी और क्षमता निर्माण।	रु. 10,000/- प्रति क्लस्टर
7	योजना में चयनित लाभार्थियों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण	स्यॉल हेल्थ कार्ड पोर्टल के मानकानुसार मृदा स्वास्थ्य कार्ड जेनरेशन व वितरण	
8	व्यवस्थापक लागत	आरकेवीवाई मानदंडों के अनुसार	

1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM)

प्रदेश में चावल, गेहूँ, दलहन, मोटे अनाज एवं पौष्टिक अनाज फसलों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना चलाई जा रही है। योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 फण्डिंग पैटर्न पर संचालित है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन- चावल, गेहूँ, दलहन, मोटे अनाज एवं पौष्टिक अनाज फसलों के मानक का विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	कार्य मद	अनुदान के मानक
1	क्लस्टर प्रदर्शन	रु0 9000 प्रति है0 (धान, गेहूँ व दलहन) रु0 6000 प्रति है0 (मोटा अनाज व पौष्टिक अनाज)
	क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड प्रदर्शन	रु0 15000 प्रति है0
2	बीज वितरण	हाइब्रिड-राइस बीज एवं संकर मक्का बीज मूल्य का 50% या रु0 10000/कुंतल जो भी कम हो
		अधिक उपजायी प्रजाति बीज वितरण(10 वर्ष से अधिक अवधि की प्रजातियों) धान व गेहूँ- मूल्य का 50% या रु0 1000/कुंतल जो भी कम हो दलहन प्रजातियों-मूल्य का 50% या रु0 2500/कुंतल जो भी कम हो मक्का- मूल्य का 50% या रु0 1500/कुंतल जो भी कम हो
		अधिक उपजायी प्रजाति बीज वितरण (10 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियों) धान व गेहूँ- मूल्य का 50% या रु0 2000/कुंतल जो भी कम हो दलहन प्रजातियों-मूल्य का 50% या रु0 5000/कुंतल जो भी कम हो मक्का, मण्डुवा/सांवा- मूल्य का 50% या रु0 3000/कुंतल जो भी कम हो
3	बीज उत्पादन (8 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियों)	अरहर, मूंग, ऊर्द, चना, गहत, मसूर आदि-रु0 5000.00 प्रति कु0 रागी/मण्डुवा/ सांवा/झंगोरा -रु0 3000.00 प्रति कु0
4	पौध एवं मृदा प्रबन्धन	-सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन एवं जैव रसायन, खरपतवारनाशी वितरण-मूल्य का 50% या रु0 2500/हैक्टेयर जो भी कम हो
5	कृषक प्रशिक्षण-	रु0 7500/सत्र या रु0 30000 प्रति प्रशिक्षण

2- नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयलसीड्स (NMEO-Oilseeds)

प्रदेश में तिलहन फसलों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने एवं तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयलसीड्स योजना चलाई जा रही है। योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 फण्डिंग पैटर्न पर संचालित है। इसके अन्तर्गत देय सुविधाओं के मानक का विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	कार्यमद	अनुदान के मानक
1	प्रजनक बीजों का क्रय	योजनान्तर्गत तिलहनी फसलों के गत 05 वर्षों के भीतर अधिसूचित प्रजनक बीजों को वास्तविक मूल्य पर क्रय किये जाने का प्राविधान है।
2	वैल्यू चैन क्लस्टर	
2.1	बीज वितरण	वैल्यू चैन क्लस्टर अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को अधिकतम 01 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के लिये तिलहनी फसलों के गत 05 वर्षों के भीतर अधिसूचित प्रमाणित बीजों के मिनिफिट कृषकों को दिये जायेंगे।
2.2	मृदा परीक्षण	पंजीकृत कृषकों को मृदा परीक्षण हेतु रू0 110.00 प्रति मृदा नमूना की दर से सहायता दी जायेगी।
2.3	कृषक प्रशिक्षण	वैल्यू चैन क्लस्टर अंतर्गत चयनित कृषकों को तकनीकी सहायता एजेन्सी द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।
3	ब्लॉक प्रदर्शन	तिलहनी फसलों के ब्लॉक प्रदर्शन क्लस्टर मोड में 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आयोजित किए जायेंगे। चयनित कृषकों को प्रत्येक फसल के लिये अधिकतम 01 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के लिये प्रदर्शन की अनुमति दी जाएगी।
3.1	मूंगफली	रू0 14000.00 प्रति हेक्टेयर
3.2	सोयाबीन	रू0 10000.00 प्रति हेक्टेयर
3.3	सूरजमुखी/रेपसीड व सरसों	रू0 9000.00 प्रति हेक्टेयर
3.4	तिल	रू0 8000.00 प्रति हेक्टेयर
4	फसल कटाई के बाद मूल्य श्रृंखला समर्थन	तिलहन संग्रह, तेल निष्कर्षण और पुर्नप्राप्ति की दक्षता बढ़ाने के लिए, सरकारी/निजी उद्योगों, एफपीओ और सहकारी समितियों को मौजूदा बुनियादी ढांचे की क्षमता या दक्षता में सुधार सहित फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए मिशन के तहत समर्थन दिया जाएगा। तेल निष्कर्षण इकाइयों (10 टन क्षमता) और तिलहन के प्रसंस्करण के लिए मशीनरी और उपकरण के लिये परियोजना लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम रू0 990000.00 तक की सहायता दी जायेगी। भूमि एवं भवन के लिए सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, न ही परियोजना लागत की गणना करते समय उनकी लागत पर विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)
 ("सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्मस आतमा योजना")

क्र०सं०	कार्यक्रम	राज्य सहायता के मानक	विवरण
1.	कृषक प्रशिक्षण- (अन्तर्राज्यीय, राज्यान्तर्गत, जिलान्तर्गत)	कमशः रू० 1500, रू० 1250 एवं रू० 500 प्रति कृषक प्रतिदिन	कृषकों को समय-समय पर सम्बन्धित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
2.	प्रदर्शन- कृषि, रेखीय विभाग-उद्यान/ पशुपालन /रेशम/ मत्स्य आदि के प्रदर्शन	रू० 6000 प्रति एकड़	कृषि एवं रेखीय विभागों से सम्बन्धित विषयों पर समय-समय पर कृषकों के प्रक्षेत्रों पर प्रदर्शन आयोजित किया जाता है।
3.	कृषक भ्रमण कार्यक्रम- (अन्तर्राज्यीय, राज्यांतर्गत, जिलांतर्गत)	कमशः रू० 2000, रू० 1250 एवं रू० 500 प्रति कृषक प्रतिदिन	कृषि एवं रेखीय विभागों के कृषकों को समय-समय पर अध्ययन भ्रमण कराया जाता है।
4.	कृषक समूहों का क्षमता विकास/ सीडमनी- प्रति समूह-प्रति वर्ष/ प्रति समूह- एक बार	रू० 10000/25000 प्रति समूह	उपयोगी वस्तु (commodity) आधारित स्वयं सहायता समूह को उनकी क्षमता में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण एवं आवश्यकता अनुरूप रिवाँलविंग फन्ड प्रदान किया जाता है।
5.	किसान मेलों का आयोजन- (प्रति जनपद)	अधिकतम रू० 6,00,000 प्रति जनपद	किसान मेलों के माध्यम से कृषकों को नवीनतम तकनीकी से अवगत कराया जाता है।
6.	कृषक वैज्ञानिक संवाद	रू० 30000 प्रति संवाद	प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रबी में कृषकों और वैज्ञानिकों के मध्य समस्याओं के समाधान एवं सुझाव हेतु संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
7.	किसान गोष्ठी/फील्ड डे- (जनपद/विकासखण्ड स्तर)	रू० 25000 प्रति गोष्ठी	किसान गोष्ठी/फील्ड डे के माध्यम से कृषकों को नवीनतम तकनीकी से अवगत कराया जाता है।
8.	फार्म स्कूल- (विकासखण्ड स्तर)	रू० 32000 प्रति फार्म स्कूल	प्रगतिशील एवं अनुभवी कृषकों के माध्यम से फार्म स्कूल स्थापित कर अन्य कृषकों को प्रशिक्षित किया जाता है।
9.	कृषक पुरस्कार- (राज्य स्तर, जनपद स्तर एवं ब्लाक स्तर)	कमशः रू० 50000, रू० 25000 एवं रू० 10000 प्रति कृषक	विभिन्न इन्टरप्राइजेज के कृषकों को कमशः किसान रत्न, किसान भूषण एवं किसान श्री श्री की उपाधि से सम्मानित किया जाता है।

पी0के0वी0वाई0 योजनान्तर्गत कार्यमद एवं राज सहायता

क्र०सं०	कार्यमद	प्रथम वर्ष (Rs./ha)	द्वितीय वर्ष (Rs./ha)	तृतीय वर्ष (Rs./ha)
1	कलस्टर गठन, प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण	1500	1500	1500
2	प्रक्षेत्र कार्मिकों का तैनाती एवं योजना क्रियान्वयन के प्रबन्धन हेतु व्यय	1500	1500	1500
3	भौतिक सत्यापन, प्रमाणीकरण प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सेवा शुल्क	700	700	700
4	जोनल काउंसिल/विभाग के माध्यम से एन०ए०बी०एल० अधिकृत प्रयोगशालाओं में रसायन अवशिष्ट विश्लेषण (3 नमूना/एल०आर०पी० क्षेत्र (100 है०)	300	300	300
5	डी०बी०टी० के माध्यम से जैविक में परिवर्तन, ऑन फार्म एवं ऑफ फॉर्म निवेशों हेतु कृषकों को प्रोत्साहन धनराशि	5000	5000	5000
6	मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, किराया, परिवहन आदि हेतु वित्तीय सहायता	—	500	500
7	कृषक समूहों के माध्यम से मूल्य संवर्धन, संरचना निर्माण	—	—	500
8	ब्रांड ब्यूल्डिंग, मेले, प्रदर्शनी, प्रचार-प्रसार एवं स्थानीय मेलों तथा राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभाग	1000	1000	1000
	कुल योग	10000	10500	11000

नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत कार्यमद एवं राज सहायता

क्र०सं०	कार्यमद	राज सहायता (Rs.)
1	कृषि सखी /CRP हेतु प्रोत्साहन राशि (प्रतिमाह 13 माह के लिए)	5000
2	ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान (प्रति ग्रा०पं०) (प्रति वर्ष प्रति ग्राम पंचायत 4 कार्यक्रम)	2000
3	प्रशिक्षित किसानों को प्राकृतिक खेती करने, पशुपालन, BRC से इनपुट्स की खरीद हेतु वित्तीय सहायता (प्रति एकड़ 1 एकड़ प्रति कृषक तक)	4000
4	प्रशिक्षित किसानों का प्राकृतिक खेती प्रमाणीकरण (प्रति है०)	2100
5	किसानों हेतु ओरिन्टेशन कार्यक्रम (4 कार्यक्रम / कलस्टर) (प्रति कार्यक्रम)	1200
6	किसानों को अध्ययन सामग्री, फार्म डायरी, FAQ पुस्तिका आदि उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता (प्रति किट/ कृषक)	200
7	कृषि सखी /CRP को मोबाईल उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता (प्रति मोबाईल)	4000
8	BRC की स्थापना- 2 BRC प्रति 3 कलस्टर (प्रति BRC)	100000
9	प्रशिक्षण संस्थान (KVK/AU/LNFI) में कृषि सखी /CRP का प्रशिक्षण (प्रतिदिन/कृषि सखी) (5 दिवसीय प्रशिक्षण-2 प्रशिक्षण)	1200
10	प्रशिक्षण संस्थान (KVK/AU/LNFI) में कृषको का प्रशिक्षण (रू० प्रतिदिन/कृषक) (1 दिवसीय प्रशिक्षण-2 प्रशिक्षण)	125
11	प्राकृतिक खेती कलस्टरों में कृषको का प्रशिक्षण (प्रतिदिन/कृषक) (1 दिवसीय प्रशिक्षण-2 प्रशिक्षण)	20